पत्र संख्या–1/स्था० (7) 01/2026–3122/

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुभाष नारायण,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थाना,
बिहार, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक,
पशुपालन, बिहार।
सभी उप निदेशक (प०वि०)
वृ०प०वि०परि०, बिहार।
सभी उप निदेशक (प०वि०)/(चा०वि०), बिहार।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सभी परियोजना पदाधिकारी,
फ्रोजेन सिमेन बैंक, बिहार।
सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सभी सहायक निदेशक (प०वि०), बिहार।
सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक, बिहार।
सभी उप मत्स्य निदेशक, बिहार।
सभी जिंला मत्स्य पदाधिकारी, बिहार।
सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गव्य, बिहार।
सभी उप निदेशक, गव्य, बिहार।
सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 19/6/2026

विषय :– **बिहार पशु चिकित्सा सेवा/बिहार मत्स्य सेवा/बिहार गव्य सेवा के वैसे पदाधिकारी जो पिछले तीन वर्षों से एक ही पद पर अथवा एक ही जिले में विभिन्न पद पर पदस्थापित है, से स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु विकल्प उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा/बिहार मत्स्य सेवा/बिहार गव्य सेवा के सभी कोटियों के वैसे पदाधिकारी जिनका मुख्यालय एक ही जिला में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्ण हो गया है अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा पति–पत्नी जो एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन हो, उच्चतर पद प्राप्त पदाधिकारी, गृह जिला में पदस्थापित पदाधिकारी एवं मूल कोटि पदधारक पदाधिकारी जो वरीय पद पर पदस्थापित हैं, का स्थानांतरण/पदस्थापन करने पर विचार किया जा रहा है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि स्थानांतरण/पदस्थापन से संबधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, इस हेतु सम्यक् विचारोपरांत पारदर्शिता/एकरूपता एवं कार्मिक कल्याण को ध्यान में रखते हुये इच्छुक/संबंधित पदाधिकारियों से पाँच स्थानों/जिला के विकल्प संबंधी विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर तैयार किया गया है। अतः इस संबंध में निम्नवत् निदेशक दिया जाता है:–

1. निम्न मामलों में यथासंभव प्राथमिकता दी जायेगी। यथा–दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित।
2. यथासंभव पति–पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा।
3. सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक में जिन पदाधिकारियों को वेतन स्तर–11 में उच्चतर प्रभार दिया गया है एवं वर्तमान में वे मूल कोटि के पद पर ही पदस्थापित हैं, उनको वेतन स्तर–11 के पद पर पदस्थापन किया जायेगा।
4. विकल्प के रूप में दिये गये पाँच विकल्प में न्यूनतम दो अलग–अलग जिला चयनित कर उपलब्ध करायेंगे। जिस जिले में पदस्थापन है एवं गृह जिला को छोड़कर।
5. यदि पदाधिकारी द्वारा पाँच विकल्प अंकित नहीं किये जाते हैं, तो उनके द्वारा भरे गये आवेदन पर अंतिम निर्णय करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
6. पूर्व में वैसे सरकारी सेवक, जिनको बिना किसी कारण के गृह जिला में पदस्थापन किया गया है, उनको भी इसके तहत विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. वैसे सरकारी सेवक, जो वर्तमान में उच्चतर प्रभार प्राप्त नहीं किये हैं एवं वरीय पद पर पदस्थापित हैं, उनके द्वारा भी विकल्प दिया जायेगा।
8. पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में पूरा पदनाम स्थान सहित अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. विहित प्रपत्र में अंकित पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन के आलोक में कार्य की महता एवं आवश्यकता के अनुसार अंतिम निर्णय लेने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
10. इसके आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति/अनापत्ति मान्य नहीं होगी।
11. यह एक One Time Activity है। इसे किसी भी परिस्थिति में विभागीय नीति नहीं माना जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि पदाधिकारी उपर्युक्त वर्णित विकल्प एवं अन्य जानकारी दिनांक–22.06.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक विहित प्रपत्र में विभागीय वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in/ahd/) में उपलब्ध लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

19.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था० (7) 01/2026–3122/पटना–15, दिनांक– 19/6/2026

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

19.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव।